

# स्मारक, ईको पार्क में पहली अक्टूबर से सैर



## लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

अब राजधानी के लोग डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन गार्डें व मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल में सैर का लुत्फ भी उठा सकेंगे।

गुरुवार को स्मारक समिति की प्रबन्ध समिति की 17वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। तय किया गया कि मार्निंग वॉक करने वालों से प्रतिमाह 200 रुपये और छायाही 600 रुपये वसूला जायेगा। बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह और सचिव जय शंकर दुबे भी उपस्थित रहे। तय किया गया कि जाड़े में सुबह मार्निंग वॉक का समय छह बजे से नौ बजे तक और गर्मी में सुबह पांच बजे से आठ बजे तक रहेगा। यह भी तय किया गया कि बौद्ध

विहार पार्क में अब प्रवेश के लिये प्रतिदिन आने वाले लोगों को 10 रुपये और अन्य पार्कों में 15 रुपये देना होगा। यह आदेश एक अक्टूबर से लागू किये जायेंगे। यह भी तय किया गया कि स्मारकों की सुरक्षा के लिये गठित सुरक्षा वाहिनी अब पार्कों के अन्दर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पार्कों के बाहर यातायात व्यवस्था और आगंतुको की भी सुरक्षा का दायित्व संभालेंगी। सुरक्षा वाहिनी में तैनात जवानों व रोस्टर पार्क के प्रबन्धकों को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे उत्तरदायित्व निर्धारण में सुविधा हो सके। प्रबन्धक प्रशासन अभिनव सिंह को निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक सप्ताह सुरक्षा वाहिनी के साथ बैठक करेंगे। जिससे समिति के सुरक्षा वाहिनी के मध्य बेहतर सामंजस्य बना रहे और पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

## बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज होगी उपस्थिति

स्मारक में तैनात कर्मियों की उपस्थिति पर विशेष बल दिया गया। शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के लिये बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कर्मचारियों की उपयोगिता और अधिक बेहतर बनाने के लिए फील्ड कर्मचारियों की तैनाती माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।



## पार्कों में सुंदरीकरण के लिए 18 करोड़ मंजूर

पार्कों में मरम्मत और सुंदरीकरण कार्य के लिये बैठक में 18 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये गये हैं। स्मारकों और पार्कों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों, कार्चर मशीन और लिफ्ट आदि की मरम्मत और अलमारी की आदि की आपूर्ति ई-टेंडरिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धनराशि 50 लाख रुपये तक के व्यय के लिये सदस्य-सचिव को अधिकृत किया गया।

